

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	भाद्र 04, मंगलवार, शके 1947- अगस्त 26, 2025 Bhadra 04, Tuesday, Saka 1947- August 26, 2025	

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डों, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 11, 2025

संख्या जविप्रा/जोन-04/2025/16463939 :- जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 22, 23 व 24 में प्रदत्त शक्तियों के तहत जोनल विकास योजना-02 जयपुर विकास प्राधिकरण की 64वीं बैठक दिनांक 22.05.2018 के द्वारा अधिसूचित किया गया है।

प्राधिकरण की 64वीं बैठक दिनांक 22.05.2018 के कार्यवाही विवरण के बिन्दु संख्या-3 पर अंकित जोनल विकास योजना-2 के अनुमोदन बाबत प्रस्तुत एजेण्डा संख्या-64.3 के निर्णय के बिन्दु संख्या-6 (जोनल विकास योजना-2 पर अंकित नोट के बिन्दु संख्या-2) के अनुसार अनुमोदित जोनल विकास योजना में भविष्य में कोई विषमता या विशेष स्थिति आने पर बीपीसी (ले-आउट प्लान) के स्तर पर आपत्ति -सुझाव आमंत्रित करके संशोधित किया जावे, उसके क्रम में बीपीसी (एलपी) की 310 वीं बैठक दिनांक 09.12.2021 में समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त निम्न सड़कों के संबंध में जविप्रा अधिनियम की धारा 25(3) के तहत आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करते हुए नियमानुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया।

1. एयरपोर्ट बाउण्ड्री के उत्तरी दिशा में स्थित जोनल विकास योजना-2 की 24.00 मीटर सड़क (3 से 4 तक) पर हुये कमिटमेंट के क्रम में उक्त सड़क को विलोपित किया जाता है।
2. एयरपोर्ट डवलपमेंट प्लान में एयरपोर्ट के सामने 200 फीट चौड़ी सड़क के पूर्वी ओर प्रस्तावित 100 फीट चौड़ी सड़क (जोन के प्रस्ताव अनुसार बिन्दू ए से जी) पूर्व कमिटमेंट के क्रम में जोनल विकास योजना में प्रस्तावित किया जाता है।
3. पूर्व में लिये गये निर्णय को कमिटमेंट मानते हुए एयरपोर्ट के उत्तरी भाग व 200 फीट सड़क के पूर्वी भाग में विद्यमान 80 फीट चौड़ी सड़क (1 से 2) को जोनल विकास योजना में प्रस्तावित किया जाता है।

बीपीसी (एलपी) की 310वीं बैठक दिनांक 09.12.2021 में लिए गए निर्णय की पालना में जोनल विकास योजना प्लान 02 की उपरोक्त वर्णित सड़को के विलोपन/संशोधन हेतु दिनांक 28.01.2022 को आम जनता से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये गये थे एवं निर्धारित अवधि में प्राप्त आपत्ति/सुझावों का नियमानुसार निस्तारण करते हुए बीपीसी एलपी की 319वीं बैठक दिनांक 24.06.2022 व 328वीं बैठक दिनांक 30.11.2022 में रखा जाकर समिति द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में जविप्रा अधिनियम की धारा 25(4) की कार्यवाही करने से पूर्व उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन पत्रावली पर माननीय मंत्री महोदय द्वारा करवाये जाने के उपरान्त नियमानुसार कार्यवाही हेतु उपायुक्त जोन को निर्देशित किया गया। माननीय मंत्री

महोदय से प्राप्त अनुमोदन उपरान्त जविप्रा अधिनियम 1982 की धारा 25(4) के अन्तर्गत जोनल विकास योजना-02 में निर्धारित उपरोक्त वर्णित सड़को के विलोपन/संशोधन को अधिसूचित किया जाता है।

उक्त अधिसूचना के अनुसार जोनल विकास योजना-02 में संशोधन जविप्रा की वेबसाईट www.jda.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।

यह अधिसूचना आज दिनांक को जारी की गई। उक्त अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन की दिनांक से जोनल विकास योजना-02 का भाग माना जाकर प्रभावी होगी।

निशान्त जैन,
सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।